POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 03.09.2024

थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 01 महिला अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ताला तोड़ने वाला लोहे का सब्बल, घटना में प्रयुक्त ऑटो व 25,000 रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **03.09.2024** को थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए थाना क्षेत्र के वाजिदपुर पुस्ता कट के नीचे वाली सर्विस रोड़ से 02 अभियुक्त 1.कुलदीप चौहान पुत्र राजभान सिंह 2.सूरज कुमार उर्फ करन पुत्र रवि कुमार व महिला अभियुक्ता काजल पत्नी सूरज कुमार को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त लोहे का सब्बल, घटना में प्रयुक्त एक आटो नं0 यूपी 16 ई.टी 0351 तथा 25,000 रुपये नगद बरामद हुए है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनो ही नशे के आदी है, अभियुक्ता काजल ने 03 वर्ष पहले अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ करन पुत्र रवि कुमार से प्रेम विवाह किया था। अभियुक्ता मँहगी शराब के नशे की शौकीन है। पत्नी को नशा कराने व शौक पूरे करने के लिये पैसो की जरूरत हेतु अभियुक्त सूरज ने चोरी करना शुरू कर दिया। सूरज पर पूर्व से अनेक मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त सूरज पिछले करीब 01 वर्ष से अपनी पत्नी काजल व दोस्त कुलदीप चौहान पुत्र राजभान सिंह के साथ मिलकर चोरियां कर रहा है। कुलदीप चौहान एक ऑटो का मालिक है, जो दिन में ऑटो चलता है व रात को अपने दोस्त सूरज व उसकी पत्नी काजल के साथ मिलकर चोरी करता है। चोरी करने के दौरान सूरज हर समय अपनी पत्नी काजल को साथ रखता है और पुलिस व जनता को भ्रमित करने के लिए काजल स्वयं इस ऑटो में अभियुक्त सूरज व कुलदीप चौहान के साथ अपराध के सफल प्रयोजन हेतु यात्रा करती है। अभियुक्ता श्रीमती काजल चोरी के पैसे व माल अपने पास जमा करती है व बाद में हिस्से का बटवारा करके देती है। ये लोग 01 मजबूत सब्बल(लोहे की रोड़) रखते है जिसको ताले मे फंसाकर ताला तोड़ देते है व शटर मे फंसाकर शटर मोड देते है। दुकान या घर के अन्दर से रूपये, गहने, मोबाइल, कीमती सामान चोरी कर लेते है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23.08.24 को ठेका देशी शराब डूब क्षेत्र सै0-135 के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे गल्ले में से रुपये चोरी कर लिये थे जिसके संबंध में थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पर मु0अ0सं0 144/2024 धारा 305/331(4) बी.एन.एस पंजीकृत है। दिनांक 08.04.24 को चौहान बीज भण्डार ग्राम ग्राम नंगली वाजिदपुर सेक्टर-135 का ताला व शटर तोड़कर रुपये व अन्य समान चोरी कर लिया था जिसके संबंध में थाना एक्सप्रेस-वे मु0अ0सं0 132/2024 धारा 380/457 भा0द0वि0 पंजीकृत है। दिनांक 26.08.24 को ठेका कस्बा सूरजपुर में शटर तोड़कर चोरी की थी। जिसके संबंध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 492/24 धारा 305 बी.एन.एस पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. कुलदीप चौहान पुत्र राजभान सिंह निवासी ग्राम गोकुलपुर, थाना लोहरीकला, जिला एटा वर्तमान पता तिगरी बुजुर्ग चिपयाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 29 वर्ष।
2. सूरज कुमार उर्फ करन पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम रजलामई थाना घटियाघाट जिला फर्रूखाबाद वर्तमान पता तिगरी बुजुर्ग चिपयाना, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।
3. काजल पत्नी सूरज कुमार निवासी ग्राम रजलामई थाना घटियाघाट जिला फर्रूखाबाद वर्तमान पता तिगरी बुजुर्ग चिपयाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी करने में प्रयुक्त लोहे का सब्बल
2. घटना में प्रयुक्त एक आटो नं0 यूपी 16 ई.टी 0351
3. 25,000 रुपये नगद

आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त कुलदीप चौहान--

1. मु0अ0सं0 1082/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा।
3. मु0अ0सं0 144/2024 धारा 305/331(4) बी.एन.एस थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा।

4. मु0अ0सं0 492/24 धारा 305 बी.एन.एस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ करन--

1. मु0अ0सं0 425/19 धारा 380/457/511 भादवि चालानी थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0 452/19 धारा 379/511 भादवि चालानी थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।
3. मु0अ0स0 765/19 धारा 380/411/427/457 भादवि चालानी थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।
4. मु0अ0स0 831/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 144/2024 धारा 305/331(4) बी.एन.एस थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
7. मु0अ0सं0 492/24 धारा 305 बी.एन.एस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्ता काजल--

1. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा।
2. मु0अ0सं0 144/2024 धारा 305/331(4) बी.एन.एस थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा।
3. मु0अ0सं0 492/24 धारा 305 बी.एन.एस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।